

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
डिक्री बमुकदमें इब्तादाई  
(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

46

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 131/2020

गुरदीप सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 11 केआरडब्ल्यू ढाणी करडवाला तहसील  
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वादी

बनाम

1. सुनीता देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ टॉउन तहसील व जिला हनुमानगढ़
  2. मीनल पत्नी श्री संजय गोदारा जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ टॉउन तहसील व जिला हनुमानगढ़
  3. सरोज पत्नी श्री अजय गोदारा जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ टॉउन तहसील व जिला हनुमानगढ़
  4. गौरचन्द पुत्र श्री लालचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
  5. नौरचन्द पुत्र श्री लालचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक

तहसीलदार राजस्व, संगरिया

प्रतिवादीगण

तहसीलदार राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
रुबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष सैन वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री.....मिन  
निब मुवायिता पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन  
स्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- **चक्र 6 PTP**

गुरदीप सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख साकिन 11 केआरडब्ल्यू ढाणी करडवाला प.नं.  
132/139 मु.नं. 41 किला नं. 21,22/0.506 है. प.नं. 132/140 मु.न. 42 किला नं. 11,20,21/0.  
759 है. कुल 1.265 है. नहरी

सुनीतादेवी पत्नी कृष्णकुमार सिंह जाति जाट सा. नुकेरा प.नं. 132/140 मु.नं. 42 किला नं. 1/1.  
1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2,8,9,10,12,13,18,19,22 कुल 2.783 है. नहरी मय गैर मु. रास्ता  
मीनल पत्नी संजय गोदारा सरोज पत्नी अजय गोदारा बहिब जाति जाट सा. हनुमानगढ़ टाउन  
प.नं. 132/138 मु.नं. 29 किला नं. 16 ता 25 प.नं. 132/139 मु.नं. 41 किला नं. 1 ता 5, 7 ता  
14, 17 ता 20,23,24 कुल 7.337 है. नहरी

अतः क्रम संख्या 2 व 3 के सहकाशतकार अदालतहाजा में न तो स्वयं उपस्थित आये है न ही  
उके तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है, इसलिए इनकी भूमि में रास्ता खाला आदि की  
विधा दी गई है या नही यह स्पष्ट नहीं है इनका खाता संयुक्त रखते हुए वादी का खाता डिक्री  
नुसार अलग कायम किया जावे। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक ए-4/पा.डि/भू.अ./  
85 दिनांक 05.07.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा  
कारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन नहीं हो तो उक्तानुसार राजस्व  
कार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..........मुदिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह  
सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय  
जारी किया गया।

(राकेश कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया